न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /42/2014

धनसुन्दर पुत्र श्री निहालसिंह उम्र 64 वर्ष जाति गूजर निवासी दारापुर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–खेमचन्द
2–दयाराम } पुत्रान रामंहस जाति गूजर निवासी ग्रांम करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर

3–रुमाली पत्नी गुरजी मृतक

3/1–निरंजन सिंह
3/2–ओमप्रकाश
3/3–जसवन्त } पुत्रान रुमाली पत्नी गुरजी जाति गूजर निवासी दरापुर तहसील व जिला भरतपर

3/4–विमला पुत्री रुमाली पत्नी बलराम जाति गूजर निवासी रामबाग तहसील डीग

4–यदुनाथ सिंह पुत्र कमलसिंह

5–अजीत
6–अजयपाल } पुत्रान यदुनाथ सिंह
7–श्रीभान
8–दीपचन्द } पुत्रान विजेन्द्र सिंह
} जातियान गूजर निवासी दारापुर तहसील व जिला भरतपुर

9–गोपीचन्द पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति गूजर निवासी दारापुर तहसील व जिला भरतपुर

...... रेस्पो0

10–रतीराम पुत्र गुरजी (मृतक)

10/1–राजेश
10/2–मुकेश
10/3–रघुराज } पुत्रान रतीराम अकवाम गूजर निवासी दारापुर तहसील व जिला भरतपुर

10/4–गुडडी पुत्री रतीराम

10/5–चम्पा पत्नी स्व0 रतीराम

...... तरतीवी रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर दिनांक 11.8.1987 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1068/87 शीर्षक प्रार्थना पत्र खैमचन्द आदि बनाम सरकार

उपस्थितः–

1–श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,

2–श्री के0के0 सिंघल, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 2–5–2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर आदेश दिनांक 11.8.1987 पेश की गई है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.1987 में प्रार्थी खेमचन्द पुत्र रामंहस जाति गूजर साकेन

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

करीली तहसील नदबई के मिसिल नं. 1068/87 प्रार्थना पत्र पर मुताविक रिपोर्ट निरीक्षक रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टान द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 19.8.2014 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावाली तलब की गई। तहसीलदार (भू0अभि0) कलैक्ट्रेट,भरतपुर के पत्रांक/एलआर/रिकार्ड/16/2023/7755 दिनांक 24.12.2024 से मिसिल नं. 1068/87 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश में आराजी खसरा नम्बर 491/0.62 ग्रांम दारापुर पर रेस्पो. संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलार्थी का गत रकबा के अनुसार 23/62 हिस्सा है, इसलिये अपीलार्थी इस आदेश से परवेदित है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि रेस्पो.10 ने आराजी साविक खसरा नम्बर 311/276/2—18 ग्रांम दारापुर जरिये पंजीकृत बैयनामा तारीख 20.7.1976 को समभाग के क्रय किया था। मौके की स्थिति के अनुसर अपीलार्थी एवं रेस्पो. तरतीवी संख्या 10 की संयुक्त खातेदारी का साविक खसरा नम्बर 311/276/2—18 से वर्तमान खसरा नम्बर 491/0.64 ही बना है, खसरा पत्रक में खाना नम्बर 8 में पहले गत खसरा नम्बर 311/276/2—18 हिस्सा लिखा गया है उसे गत खसरा नमबर 309/276/4—0 से बनाया जाना मानकर तहत न्यायालय ने नियम विरुद्ध आदेश दिया है जो निरस्त किया जावे। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कहना है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 के तथाकथित गत खसरा नम्बर 409/276/4—0 का अधिकाशं रकवा लगभग 46+14 ऐयर के सहारे लगे हुए वर्तमान आराजी खसरा नम्बरान 407/0.35, 498/0.58, 499/0.26 में सम्मलित किया गया है, जो साविक खसरा नम्बर उनके सामने मिलान क्षेत्रफल में अंकित किया है वे 315/284/1/3—15 है जिसका वर्तमान रकवा 0.60 है0 होता है और उपरोक्त खसरा नम्बरान का रकवा 1.20 है. हो रहा है जो 60 ऐयर वेशी है इसलिये तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से काबिल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलाधीन आदेश अस्पष्ट नोनस्पीकिंग आदेश है, जिसमें केवल निरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर अमल करने का आदेश दिया गया है, तहत न्यायालय ने स्वंय विवेक का इस्तमाल नहीं कर केवल मात्र यह लिख देना कि निरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिया है या

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

रकवा शुद्वीकरण का आदेश है कुछ भी स्पष्ट नहीं है ऐसा नोनस्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है ऐसा आदेश काबिल खारिज के रहता है। किसी की खोतदारी वदलने का अधिकार भूप्रबन्ध विभाग को नहीं है। पक्षकारान के बीच विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में दावा भी पेश किया गया है जो विचाराधीन हैं। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 4.8.2012 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई। तब जाकर नकल प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जानकारी होने के दिन से यह अपील अपीलार्थी अंदर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील लगभग 27 साल देरी से म्याद बाहर पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये म्याद प्रार्थना पत्र धारा 5 में 27 साल की देरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलान्ट सम्बन्धित पटवारी का भी कोई शपथपत्र वगे. भी पेश नहीं किया गया है। इसलिए अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अपीलान्ट व रेस्पो.10 ने वहिस्सा बराबर रकवा खरीद किया है जिसका भूप्रबन्ध विभाग द्वारा कोई नम्बर नहीं बनाया गया है जिसके लिये इन्होने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में एक दावा पृथक से पेश किया हुआ है। अपीलान्ट ने जो रिलीफ अपील में चाही है वही रिलीफ दावा में चाही गई है दावा जैरकार है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने दावा की नकल की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि विवादित आराजी एक ही है जो सयुंक्त खातेदारी की आराजी की है। अपीलार्थी का रेस्पो0 की आराजी से कोई सवंध सरोकार नहीं है रेस्पो. संख्या 1 व 2 के नाम हाल खसरा नम्बर 491 रकवा 62 ऐयर हाल राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने श्रीमती रुमाली, अंगूरी व सरवती को जरिये रजिस्टर बयनामा विक्रय किया है बयनामा के आधार पर सम्पूर्ण जांच के बाद इन्द्राज दर्ज किये गये हैं। श्रीमती अगूंरी की मृत्यू के बाद विरासतन हम रेस्पो. संख्या 4 लगायत 7 के नाम इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये हैं। साविक आराजी खसरा नम्बर 311/276 रकवा 2 वीघा 13 विस्वा से हाल खसरा नमबर 491 निर्मित नहीं किया गया है, भूप्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 491 को साविक खसरा नम्बर 309/276 रकवा 4 बीघा से बनाया गया है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। अपीलार्थी के साविक खसरा नमबर 311/276 से बन्दोवस्त विभाग द्वारा मौके के अनुसार हाल खसरा नम्बर 498 व 503 बनाया जाना चाहिये था क्योंकि हाल ख. न. 503 साविक खसरा नम्बर 312/284/1 रकवा 4 बीघा 19 विस्वा से लगभग 34 ऐयर वेसी है जो स्वयं अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज है इस प्रकार स्पष्ट है कि साविक रिकार्ड व

.......4

जिला कलक्टर
भरतपुर

मौके के अनुसार अपीलान्ट अपने रकवा पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। इस प्रकार हाल खसरा नमबर 503 में रकवा बेशी होने के कारण अपीलार्थी तहत न्यायालय के आदेश से परिवेदित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथन पर मनन किया। तहत न्यायालय की पत्रावली प्रमाणित फोटो प्रतियों का अध्ययन किया गया। जाहिर आया कि खेमचन्द व दयाराम पिसरान रामहंस जाति गुर्जर साकिन करीली ने एक प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में अपने साविक खसरा नम्बर 309/276 रकवा 4 बीघा और 81 मि 3 बीघा को राजस्व रिकार्ड में कहीं भी दर्ज नहीं होने से उक्त रकवा को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु पेश किया गया हैं जिस पर तहत न्यायालय ने निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर जो मूल प्रार्थना पत्र की पुस्त पर अंकित है के आधार पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने की आज्ञा दिनांक 11.8.87 को दी गई है। अपीलार्थी ने तहत न्यायालय के उक्त आदेश तारीखी 11.8.1987 की अपील लगभग 27 साल बाद इस न्यायालय में पेश की गई है। अपने म्याद प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से होना अंकित किया है। अपीलान्ट ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं रहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच एक दावा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पृथक से पेश किया हुआ है, उक्त दावा में एवं न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील में एक जैसी रिलीफ चाही गई है। चूँकि सक्षम न्यायालय में विचाराधीन दावा में जबाब लेकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लेकर विस्तृत कार्यवाही करते हुये पक्षकारान के हक हकूक तय होने हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 2.2.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर